

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या—25, शाहजहाँपुर।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या— /2022

दिनांक—07.10.2022

अभियुक्त मनोज की ओर से अपराध संख्या— 1023/2018, मुकदमा संख्या— 343/2021, धारा— 498ए, 323, 506 भा.दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना— सदर बाजार, शाहजहाँपुर के अभियोग में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना तथ पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त उपरोक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। ऐसे में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त मनोज द्वारा अंकन 20,000/—रुपये की धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या—25, शाहजहाँपुर।